



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928

No. 1488]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

(आय-कर)

का.आ. 2108(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, जीरो कूपन बंधपत्र के रूप में निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- | | |
|--|---|
| (क) बंधपत्र का नाम | — भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का दस वर्षीय जीरो कूपन बंधपत्र |
| (ख) बंधपत्र की जीवन अवधि | — दस वर्ष |
| (ग) बंधपत्र के जारी होने का निश्चित समय | — 31 मार्च, 2009 को या उसके पूर्व जारी होने के लिए। |
| (घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदेय की जानी वाली रकम | — प्रत्येक बंधपत्र के लिए इक्कीस हजार छः सौ रुपए। |
| (ङ) बट्टा | — बंधपत्र के जारी होने के समय सिडबी द्वारा विनिश्चय किया जाना है। |
| (च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या | — पांच लाख |

2. यह अधिसूचना आय-कर नियम, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii), और खंड (v) और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा करने के अधधीन है।

[अधिसूचना सं. 369/2006/फा.सं. 133/30/2006-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव